

GUMS = 2028/723

ग्रामीण सेवा रिपॉर्ट 2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ एवं पदेन सहायक कलेक्टर नवलगढ़
(पीठासीन अधिकारी कैम्प ग्राण्डासा)

-आदेश-

प्रार्थी के रिकार्ड दुरुस्ती प्रार्थन पत्र एवं पटवारी ग्राण्डासा व मुअनि मुहम्मद की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/भायब तहसीलदार नवलगढ़/मुकुन्दगढ़ की आशंका के आधार पर राजस्थान गृह-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ग्राण्डासा तहसील नवलगढ़ जिला मुन्सुपु की जमाबंदी संवत् 2075-78 में खाता सं० 151, 210 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं-

क्र. सं.	ग्राम	खाता सं०	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध) प्रविष्टि	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती की जानी है
1	<u>ग्राण्डासा</u>	151	<u>आनन्द लाल पु०</u> <u>महावीर प्रसाद</u>	<u>आनन्द स्वामी पु०</u> <u>महावीर प्रसाद</u>
		210	<u>आनन्द लाल पु०</u> <u>महावीर प्रसाद</u>	<u>आनन्द स्वामी पु०</u> <u>महावीर प्रसाद</u>

W
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़
दिनांक

क्रमांक रा.लो.अ/2017/

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-
1. तहसीलदार नवलगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

W
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़